

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बरार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम  
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत बरार

प्रकरण सं. - 130/2013 रोवा0

निर्णय दिनांक - 08.06.2015

अनवान

1. श्री वन्नासिंह पिता सुरता उर्फ सुरतानसिंह जाति रावत निवासी हामेला की वेर तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री हुकमसिंह पिता सुरता उर्फ सुरतानसिंह जाति निवासी हामेला की वेर बाडिया चाट तहसील भीम
2. श्रीमति मोहनीदेवी पत्नि रूपसिंह जाति निवासी हामेला की वेर बाडिया चाट तहसील भीम
3. श्री किशोरसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत नाबालिग जरिये संरक्षक माता मोहनीदेवी पत्नि रूपसिंह हामेला की वेर बाडिया चाट तहसील भीम।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 आरटीए

ग्राम बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है:-


खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
437	9258	00	14	00	बारानी 1
	9259	00	02	00	बंझड
	9262	00	11	00	चाही 3
	9775	01	00	00	जाव 2 व चाही 2
	9790	00	06	00	चाही 1
	9791	00	03	00	चाही 1
<b>कुल किता 6 रकबा 02 बीघा 16 विस्वा</b>					

यह कि उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा होकर अपने-अपने हिस्सेनुसार वादी प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। खातेदार उदी बेवा सुरता की मृत्यु हो जाने से उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्ड व मौके पर बंटवारा नहीं होने के कारण से हर समय मौके पर विवाद रहता है व आये दिन प्रतिवादीगण वादी के हिस्से पर आते जाते हैं व कब्जा करने की कोशिश कर लेते हैं व रिकार्ड में मौके अनुसार बंटवारा नहीं होने से वादी अपने हिस्से को उन्नत व विकसित नहीं कर पा रहे हैं। जिससे वादी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बरार में पेश हुआ पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगणों को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामों से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वर्णित आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौके पर रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर रिकार्ड अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगन कराना सुनिश्चित करें।

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, भीम  
जिला - राजसमन्द